भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 1957
(जिसका उत्तर मंगलवार, 15 मार्च, 2016 को दिया गया)

कारपोरेट घरानों द्वारा कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी कार्यकलाप

1957. पी. एल. पुनिया :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कारपोरेट घरानों द्वारा कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर धनराशि व्यय की जा रही है;
(ख) यदि हां, तो कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी कार्यकलापों के ब्यौरे सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान कारपोरेट घरानों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में आरंभ किए गए कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी कार्यकलापों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्री अरूण जेटली)**

(क) से (ग): कंपनी अधिनियम, 2013 के कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) उपबंध दिनांक 01.04.2014 से लागू हुए। वर्ष 2014-15 इस कानून के अंतर्गत कंपनियों द्वारा सीएसआर के कार्यान्वयन का प्रथम वर्ष था। इस वर्ष के दौरान, कुल 460 सूचीबद्ध कंपनियों जिन्होंने अपनी वेबसाइट पर वार्षिक सीएसआर विवरणिका प्रस्तुत की है, ने सीएसआर पर लगभग 6337 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है-

वर्ष 2014-15 के दौरान सीएसआर व्यय (करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	कंपनी का प्रकार	कंपनियों की संख्या	वास्तविक सीएसआर व्यय
1	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयू)	51	2386.60
2	निजी क्षेत्र कंपनियां	409	3950.76
	कुल	460	6337.36

कंपनियों द्वारा विभिन्न कार्यकलापों पर किए गए सीएसआर व्यय का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

*****

अनुलग्नक

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1957 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

कार्यकलाप-वार सीएसआर व्यय (वित्त वर्ष 2014-15)

क्रम संख्या	अनुसूची VII के विषय	सीएसआर व्यय (करोड़ रुपए में)
1.	भूख, गरीबी उन्मूलन/स्वास्थ्य सेवा	1421.66
2.	शिक्षा, व्यावसायिक कौशल/जीविका वृद्धि	1462.6
3.	महिला/वृद्धावस्था/बच्चे	219.27
4.	पर्यावरण स्थिरता	1188.69
5.	कला एवं संस्कृति	539.83
6.	खेलकूद प्रचार एवं प्रोत्साहन	454.91
7.	प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएऩआरएफ) आदि	125.32
8.	ग्रामीण विकास	724.32
9.	बस्ती विकास	114.14
10.	स्वच्छ भारत कोष	42.64
11.	स्वच्छ गंगा निधि	15.49
12.	अन्य	28.5
	कुल योग	6337.36

*****